

श्री मोहम्मद नईम

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा(ग्रुप-3)विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222र 5153223र 5153060 (आई.पी.ए.24870)

क्रमांक प. 1(7)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक :- 5 JAN. 2021

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियम-26 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को प्राध्यापक(व्याख्याता) से उप प्राचार्य स्नातकोत्तर/स्नातक (Pay Matrix AL-13A) के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्त की दिनांक	अन्य विवरण
1	3	4	5	6	7
1	श्री शकील परवेज खॉन	सामान्य	24.04.58	01.04.17	चयन सूची में इनका नाम श्रीमती सरला वर्मा(सामान्य) के नीचे आयेगा।
2	श्री चेतन आनन्द दवे	सामान्य	21.06.57	01.04.17	चयन सूची में इनका नाम श्री कैलाश चन्द पंचोली(सामान्य) के नीचे आयेगा।
3	श्री लक्ष्मी चन्द मीणा	अजजा	06.07.62	01.08.17	चयन सूची में इनका नाम श्री भागचन्द मीणा(अजजा) के नीचे आयेगा।
4	श्री श्याम सुन्दर परमार	अजा	01.01.58	01.08.17	चयन सूची में इनका नाम श्री कल्याण सिंह रावत(अजजा) के नीचे आयेगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पदोन्नति का परिलाम उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त की तिथि से काल्पनिक एवं सेवानिवृत्ति तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा तथा शेष अधिकारियों को पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से कार्यरत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. मोहम्मद नईम)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1( )पीएस/आकाशि/20/246

दिनांक: 05.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य/अधिकारी।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. वेबसाईट प्रमारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक(एचआरडी)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।